न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 457-PBR/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.1.13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 105/अपील/2012–13.

.....

1/ अवन्ताबाई पति स्व. रामसिंह

2/ जीवनसिंह पिता स्व. रामसिंह

3/ विकमसिंह पिता स्व. रामसिंह

4/ इन्दरसिंह पिता स्व. रामसिंह

5/ गीताबाई पति अम्बाराम पिता पुराजी

समस्त निवासीगण ग्राम गोयलाखुर्द तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1/ गुलाब पिता सिद्धनाथ

2/ चन्दर पिता सिद्धनाथ

3/ सुन्दर पिता सिद्धनाथ

4/ राजाराम पिता आत्माराम

5/ बहादुर पिता आत्माराम

6/ हरूबाई पिता आत्माराम

7/ ईश्वर पिता आत्माराम

8/ कमल पिता दयाराम

9/ जतन पिता दयाराम

10/ दयाराम पिता पुराजी
समस्त निवासीगण ग्राम गोयलाखुर्द
तहसील व जिला उज्जैन

11/ ओमप्रकाश पिता जमनालाल अग्रवाल
निवासी आजादनगर उज्जैन म.प्र.

12/ मोहन पिता उदाराम
निवासी 30 सिन्धी कॉलोनी
उज्जैन म.प्र. ..... अनावेदकगण

.....

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी एवं श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक.
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3, 11 एवं 12.
श्री जाहिद कुर्रेशी, अभिभाषक, शेष अनावेदकगण.

.....

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 22–01–2015)

.....

आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के द्वारा प्रकरण कमांक 105/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य विस्तार से अपर आयुक्त के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया गया । इस प्रकरण में अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा वर्ष 1977 की प्रविष्टि को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे विलोपित करने एवं 1977 के पूर्व की स्थिति के अनुसार प्रविष्टि संशोधित किये जाने के आदेश दिनांक 12–7–12 को दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क0 11 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 20.11.2012 को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए जो वाद–बिंदु निर्धारित करते हुए जो निष्कर्ष निकाले हैं वे औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं समतामय

हैं । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में तहसील न्यायालय के आदेश को अवैधानिक मानने के जो कारण दिए हैं वे न्यायिक एवं विधिसंगत है । उनका यह निष्कर्ष कि वादग्रस्त भूमियों में से कुछ भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत शासन में वेष्ठित की गई थी । कई सर्वे नंबरों में भूमियों का कय–विकय हो चुका है । अपर तहसीलदार ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर रजिस्टर्ड विकयपत्र में जो चतुर्सीमा उल्लखित की गई है उससे हटकर नामांतरण के आदेश दिये गये जबकि पंजीकृत विकयपत्र की वैधता की जांच करने एवं पंजीकृत विकयपत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अपर आयुक्त का निकाला गया यह निष्कर्ष उचित है कि अपीलांट्स द्वारा 08–05–77 के आदेश के विरूद्ध 34 वर्ष बाद अपील की गई थी । आवेदकगण के पिता रामसिंह जब तक जीवित थे तब तक उनके द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई और ना ही रामसिंह द्वारा 1977 में किए गए बटवारे के संबंध में कोई विरोध प्रकट नहीं किया था । अपर आयुक्त का यह कहना भी प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित है कि यदि प्रकरण कमांक 18/अ–27/1976–77 का अभिलेख नहीं मिला तो इसके लिए अनावेदकों को दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त आदेश अनावेदकों के विरूद्ध नहीं था । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्ष 1977 का जो बटवारा है वह पूरा जी पिता नग्गा द्वारा अपने चारों पुत्रों के मध्य किया गया है और चार पुत्रों में से तीन की मृत्यु हो चुकी है केवल एक पुत्र दयाराम जीवित है । यदि उक्त बटवारा असमान था तो वर्ष 1977 के उक्त बटवारे को उस समय चुनौती दी जा सकती थी । वर्ष 1977 में प्रश्नाधीन भूमि की जो स्थिति थी वह वर्तमान में काफी परिवर्तित हो चुकी है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अपर तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्रं0 11 एवं 12 के नाम पर जो भूमि वर्तमान में थी उसे आवेदकों के हिस्से में देने का आदेश दिया गया है जो अवैधानिक है । इसके अतिरिक्त अपर तहसीलदार द्वारा धारा 115–116 में विवादित भूमि का बटवारा भी कर दिया गया है जबकि बटवारे का प्रावधान संहिता की धारा 178 में है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1977 में हुए बटवारे के पश्चात मृतक पूरा के सभी चारों पुत्रों द्वारा उन्हें जो भूमि

बटवारे में प्राप्त हुई थी उसे समय–समय पर विकय किया गया है तथा कुछ भूमियों को विकास प्राधिकरण, नगर भूमि सीमा नजूल द्वारा भी अधिग्रहीत किया गया है । अपर तहसीलदार द्वारा भी उक्त तथ्यों का उल्लेख अपने आदेश में किया है इसके उपरांत भी अपर तहसीलदार द्वारा वर्ष 1977 के बटवारे को 34 वर्ष उपरांत निरस्त करना अवैधानिक है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है और अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 105/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31–01–2013 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर